[22/3/20

178 ता.प्र. क्र. 5093

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

–: आदेश :–

भोपाल, दिनांक : 3 / 01 / 2006

क्रमांक एफ 44–27 / 94 / 20–2 : राज्य शासन के निर्णय अनुसार म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 44–27 / 94 / 20–2, दिनांक 13.01.95 के द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग तथा स्कूल शिक्षा विभाग की शैक्षणिक संस्थाओं के परस्पर हस्तांतरण के निर्देश दिये गये थे। इस निर्देश में यह व्यवस्था की गई थी कि हस्तांतरित संस्थाओं के अमले अपने मूल विभाग के ही कर्मचारी माने जायेंगे और नवीन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे। इन कर्मचारियों के स्थानांतरण, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु अथवा अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर इन पदों की पूर्ति नवीन विभाग के द्वारा की जायेगी। यह भी व्यवस्था की गई थी की यदि हस्तांतरित शालाओं के अमले नवीन विभाग में संविलियन चाहेंगे तो उन्हें संविलियन का अवसर प्रदान किया जायेगा। तदन्तर में इस व्यवस्था से कुछ जिलों के पूर्ण रूप से किसी एक विभाग में सभी संस्थाओं के हो जाने से कर्मचारियों के पदोन्नति जैसे स्वत्वों के बाधित हो जाने की स्थिति निर्मित हो गई है और यह स्थिति विशेष तौर पर जिला संवर्गीय कर्मचारियों के मामले में अधिक गंभीर है। इस संबंध में अनेक न्यायालयीन प्रकरण भी उद्‌भूत हुए हैं और माननीय न्यायालयों द्वारा प्रभावित कर्मचारियों के हितों को अप्रभावित रखने के निर्देश दिये गये हैं।

2. इस समस्या के निराकरण के संबंध में आदिम जाति कल्याण विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग के परस्पर सहमति से निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :–

1. दोनों विभागों के हस्तांतरित संस्थाओं के कर्मचारियों / अधिकारियों का संविलियन नियुक्ति तिथि की वरिष्ठता दी जाकर संबंधित नवीन विभाग में कर्मचारियों की सहमति प्राप्त कर किया जायेगा अर्थात संबंधित कर्मचारियों / अधिकारियों की उनकी मूल विभाग में नियुक्ति / पदोन्नति दिनांक से वरिष्ठता मानी जायेगी। अन्य विभाग के संविलियित अधिकारी / कर्मचारी एवं मूल विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी की वरिष्ठता तिथि एक समान होने पर मूल विभाग के अधिकारी / कर्मचारी का नाम वरिष्ठता सूची में ऊपर रखा जायेगा।

2. जो कर्मचारी / अधिकारी अपने मूल विभाग में वापस जाना चाहें उन्हें मूल विभाग में वापस लिया जा सकेगा। यदि वर्तमान पदस्थापना वाले जिले में मूल विभाग के पद स्वीकृत अथवा रिक्त नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें समीपस्थ अन्य जिले में पदस्थ किया जायेगा। जिला संवर्गीय कर्मचारियों की वरिष्ठता नवीन जिले में भी यथावत मान्य होगी। अर्थात नवीन जिले में पदस्थापना होने से उनकी वरिष्ठता का हनन नहीं होगा। अंतर जिला पदस्थापना संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त / जिला संयोजक आदिवासी विकास के प्रस्ताव पर संबंधित विभागाध्यक्ष स्तर से की जायेगी।

अनुभाग अधिकारी,
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1),
मंत्रालय, भोपाल

परिशिष्ट– अ

नये विभाग में संविलियन/मूल विभाग में बने रहने का विकल्प प्रस्तुत करने का प्रारूप

(अ) अधिकारी/कर्मचारी का सेवा संबंधी विवरण

1– कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी का नाम
2– पिता/पति का नाम
3– वर्तमान धारित पद का नाम
4– कार्यरत संस्था का नाम
5– मूल विभाग का नाम
6– मूल विभाग में सेवा में प्रथम नियुक्ति का दिनांक एवं पदनाम
7– वर्तमान धारित पद का नियुक्ति दिनांक
8– वर्तमान धारित पद का वेतनमान
9– सेवा अभिलेख अनुसार जन्मतिथि
(अ) अंको में————————(ब) शब्दो में————————
10– सेवा अभिलेख अनुसार योग्यता :–
(अ) शैक्षणिक————————(ब) व्यावसायिक————————
11– सेवा अभिलेख अनुसार जाति का उल्लेख
सामान्य/अ0जा0/अ0ज0जा0/पि0वर्ग

(ब) अधिकारी/कर्मचारी का विकल्प

मैं..................................पद..............................वेतनमान..............................कार्यरत संस्था ....जिला..............................मध्यप्रदेश , स्कूल शिक्षा विभाग /आदिम जाति कल्याण विभाग का कर्मचारी हूँ और अपने मूल विभाग स्कूल शिक्षा विभाग /आदिम जाति कल्याण विभाग में रहने/नवीन विभाग स्कूल शिक्षा विभाग /आदिम जाति कल्याण विभाग में संविलियन का विकल्प चुनता हूँ । मेरे आगामी स्वत्वों का निराकरण मेरे उक्तानुसार विकल्प के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा मुझे स्वीकार होगा। (जो लागू नहीं हो उसे काट दें)

कर्मचारी/अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम सहित

(स) संस्था प्रमुख का प्रमाणीकरण

श्री/श्रीमती/कु0————————————पद————————द्वारा प्रस्तुत उक्त सेवा संबंधी विवरण कार्यालयीन सेवा अभिलेख के अनुसार सही एवं सत्य है।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम मुद्रा सहित

(द) संबंधित विभाग के जिला प्रमुख की टीप————————————

संबंधित विभाग के जिला प्रमुख के हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम मुद्रा सहित

Simpal lett

3/1/06

मध्यप्रदेश
स्कूल शिक्षा वि[redacted]

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग (कक्ष 2)
भवन, भोपाल

(179)

3. संविलियन के आदेश पश्चात नये विभाग में अधिकारी/कर्मचारियों की उनके मूल विभाग की वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, स्थयीकरण व पेंशन आदि की कार्यवाही होगी। संविलियन की कार्यवाही जिला संवर्गीय पदों में जिला स्तर के नियुक्तिकर्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी के द्वारा सम्पन्न की जायेगी और राज्य स्तरीय संवर्गों में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी संबंधित विभागाध्यक्ष एवं प्रशासकीय विभाग के द्वारा की जायेगी। नये विभाग में संविलियन अथवा मूल विभाग में वापसी संबंधी विकल्प संबंधित अधिकारी कर्मचारी द्वारा संबंधित विभाग के जिला प्रमुख को आदेश जारी होने के दिनांक से दो माह की समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा और इस समयावधि में कोई विकल्प नहीं प्रस्तुत करने की स्थिति में यह माना जायेगा कि संबंधित कर्मचारी/अधिकारी नवीन विभाग (प्रतिनियुक्ति वाले विभाग) में ही रहना चाहता है और यह मानकर उसके प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। मूल विभाग में यथावत रहने अथवा नये विभाग में संविलियन का विकल्प "परिशिष्ट – अ" पर संलग्न निर्धारित प्रपत्र पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

यह आदेश आदिम जाति कल्याण विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग के लिए एक समान रूप से तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पुष्पलता सिंह)
उप सचिव
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठांकन क्र.एफ 44–27/94/20–2 भोपाल, दिनांकः 3/01/2006

प्रतिलिपि :–

1. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
2. निज सचिव, मा. मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. भोपाल।
5. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
6. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल।
7. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल।
8. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
11. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिवासी विकास विभाग, म.प्र.।
12. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1)
मंत्रालय,